

प्रेषक,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे,
अनु सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 15 मार्च, 2019

विषय- केन्द्रीय कारागार, बरेली के सिद्धदोष बंदी महावीर पुत्र श्री सरदार की दिनांक 22-12-2017 को हुयी मृत्युप्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-1195/24/14/2018-जेसीडी, दिनांक 16-01-2019 के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारियों को रू0 3,00,000/- (रूपये तीन लाख मात्र) की अंतरिम राहत के भुगतान की स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपर महानिरीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवाएं, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या-4381/मा0अनु0(3)/383-2017, दिनांक 18-02-2019 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि महामहिम श्री राज्यपाल महोदय केन्द्रीय कारागार, बरेली के सिद्धदोष बंदी महावीर पुत्र श्री सरदार की दिनांक 22-12-2017 को हुयी मृत्यु प्रकरण में मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली के केस संख्या-1195/24/14/2018-जेसीडी, दिनांक 16-01-2019 में की गयी संस्तुति के अनुपालन में मृतक बंदी के आश्रितों/निकटस्थ उत्तराधिकारी को रू0 3,00,000/- (रू0 तीन लाख मात्र) की धनराशि के भुगतान की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति चालू वित्तीय वर्ष-2018-2019 में इस शर्त के अधीन प्रदान करते हैं कि मुआवजे के समतुल्य धनराशि दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूल कर राजकोष में जमा कराने की कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी।

2- उक्त के निमित्त होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष-2018-2019 के अनुदान संख्या-25 के लेखाशीर्ष-2056 राजस्व लेखा के 101-03 समस्त कारागार के मानक मद संख्या-42 अन्य व्यय (मतदेय) के नामें डाला जायेगा तथा उपलब्ध प्राविधान से वहन किया जायेगा।

3- उक्त धनराशि का भुगतान/उपयोग मा0 राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा केस में पारित आदेश दिनांक 16-01-2019 में विहित प्रक्रिया के अनुसार किया जायेगा।

4- प्रश्नगत प्रकरण में वित्तीय हस्तपुस्तिका में उल्लिखित नियमों तथा समय-समय पर जारी शासन के संगत आदेशों का प्रत्येक स्तर पर कड़ा ई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा जहां आवश्यक हो, वहाँ सक्षम अधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त कर ली जाय।

2/--

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।

5- महानिरीक्षक, कारागार, उ०प्र० द्वारा उक्त धनराशि का भुगतान जिला मजिस्ट्रेट, बरेली के माध्यम से यथाशीघ्र सम्बन्धित को कराते हुए उसकी पुष्टिकृत सूचना मा० राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग/शासन को एक सप्ताह के अन्दर उपलब्ध करायी जायेगी।

6- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-यू०ओ०-ए-2-36/दस-2016, दिनांक 16 मार्च, 2016 की सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।

संख्या:27/2019/519जे०(1)/22-5-19, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- सहायक निबन्धक (विधि), मा० राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, मानव अधिकार भवन, सी-ब्लाक, जी०पी०ओ० कम्प्लेक्स, आईएनए, नई दिल्ली -110023
- 2- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम, उत्तर प्रदेश प्रयागराज।
- 3- जिला मजिस्ट्रेट, बरेली/वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, बरेली को इस आशय से प्रेषित कि स्वीकृत धनराशि का भुगतान बंटी के आश्रित/निकटस्थ रक्त सम्बन्धी को तत्काल कराते हुए भुगतान का साक्ष्य/पुष्टिकृत सूचना मा० आयोग/शासन को एक सप्ताह के अंदर उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- 4- कोषाधिकारी, बरेली।
- 5- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-1 को दोषी पाये गये कार्मिकों से वसूली किये जाने हेतु प्रेषित।
- 6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-4 एवं अनुसचिव, गृह(मानवाधिकार) अनुभाग-1
- 7- निजी सचिव, मा० राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ०प्र० को सूचनार्थ।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा० गिरीश चन्द्र खरे)

अनु सचिव।